# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– चाँद मल वर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 129/2018

सुदेश कुमारी पुत्री श्रीमति तारादेवी पुत्री भौडूं उर्फ बैनथू जाति जट निवासी महाल मदसाड़ा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) जरिये मुख्त्यारआम जसवीर सिंह पुत्री कुलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एलएनपी (चक महाराजका) तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. सुखवीर सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एसकेएम ए तहसील घडसाना वर्तमान तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर
2. चुहडीदेवी पुत्री भौडूं भौडूं उर्फ बैनथू निवासी धोली डाक लौहारा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
3. चहलो देवी पुत्री भौडूं उर्फ बैनथू निवासी धोली डाक लौहारा तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. रावला जिला श्रीगंगानगर

**अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलांट श्री तिलक राज चुघ
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री नरेश चुघ

निर्णय

दिनांकः 01.02.2018

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि वाके चक 5 एसकेएम ए उपनिवेशन तहसील छतरगढ़ न. 1 वर्तमान तहसील रावला का मुरब्बा न. 147/21 के किला न. 1 ता 25 के 25 बीघा कृषि भूमि अपीलांट के नाना भौडूं उर्फ बैनथू पुत्र श्री नन्दू को पौंगबांध विस्थापितों में पुख्ता आवंटन हुई थी। बैनथू का देहान्त दिनांक 11.10.1980 को हो गया। बैनथू के तीन पुत्रीयां कमशः चुहडी देवी, चहलो देवी व तारा देवी थी। अपीलांट तारादेवी की एक मात्र विधिक वारिस है। आवंटी बैनथू के मृत्यु पश्चात उक्त कृषि भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 को विरासतन प्राप्त हुई है उक्त कृषि भूमि में अपीलांट का हक व अधिकार निहित है। लेकिन रेस्पोडेंट संख्या 1 ने तथाकथित वसीयत तेयार कर ली और उक्त वसीयत के आधार पर उपनिवेशन तहसील इ.गा.न.प. छतरगढ़ न. 1 से अपीलाधीन भूमि का इंतकाल संख्या 25 दिनांक 30.11.89 को अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया।
2. अपील संख्या 129/2017 पर दर्ज की गई। व उभय रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया । अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री तिलक राज चुघ हाजिर हुए व रेस्पोडेंट की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेश चुघ उपस्थित आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि भौडूं उर्फ बैनथू को पौंगबांध विस्थापितों में पुख्ता आवंटन हुई थी। उक्त इंतकाल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 01 ने तथाकथित वसीयत अपने पक्ष में बताई है तो तथाकथित वसीयत आवंटी बैनथू की मृत्यू दिनांक 11.10.1980 से पूर्व की प्रतीत है जबकि अपीलाधीन कृषि भूमि तथाकथित वसीयत के समय गैरखातेदारी थी और कानूनन गैरखातेदारी भूमि की वसीयत करने में मूल आवंटी बैनथू सक्षम नहीं था। इस प्रकार गैरखातेदारी कृषि भूमि की वसीयत आरम्भ से ही प्रभावहीन व प्रभावशून्य तथा गैर कानूनी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है व विधिविरुद्ध यह इंतकाल दर्ज किया है। उक्त इंतकाल दर्ज करनें से बैनथू के वारिसों को सुना नहीं गया। अतः अपील स्वीकार की जावे व इंतकाल निरस्त कर पुनः जांच कर स्वीकृत करनें के आदेश दिये जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहीर नहीं की।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

03

हमने पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन, मनन, चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रश्नगत इंतकाल के विरूद्ध लगभग 30 वर्ष पश्चात अपील पेश की है। विलम्ब से प्रस्तुत अपील तभी ग्राहय है जब उसके प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया जा सकें। विलम्ब तभी क्षमा किया जा सकता है जब धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारण बताया जा सके। प्रस्तुत अपील में धारा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमे विलम्ब का कारण सन्तोषनजक एवं विश्वसनीय ना होने कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद खारिज किया जाता है। व इसी आधार पर अपील अपीलांट भी खाजिर की जाती है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा पारित आदेश यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01-2-18

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner